(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— **सुमन देवी II**, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर— 227 / 2023 जी.सी.एम.एस नम्बर :— 2023 / 850

1. विरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल
2. संजय कुमार पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न0 25 मण्ड्रेला रोड़ पानी की टंकी के पास चिड़ावा जिला झुंझुनू राज०

................**आवेदकगण**

बनाम

1. किशोरी लाल पुत्र गोपाल
2. रामानन्द पुत्र गोपाल
3. चम्पा पुत्री गोपाल
4. संतोष पुत्री गोपाल
5. कौशल्या पत्नी घड़सीराम
6. पुरूषोतम पुत्र घड़सीराम नवीरा गोपाल
7. नरेश पुत्र घड़सीराम नवीरा गोपाल
8. नवरत्न पुत्र घड़सीराम नवीरा गोपाल
9. मुला पुत्र भोजाराम
10. बिशना पुत्र भोजाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड न0 16 कलवा रोड़ बावड़ी चौक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजं०
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

...............**अनावेदकगण**

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :—

प्रार्थीगण की ओर से — श्री रा[illegible] अधिवक्ता
अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से [illegible] भारद्वाज अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

दिनांक :– ______

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता सं0 1347 का ख० नं० 3306 / 1043 रकबा 1.25 है० के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है।
2. यह कि आवेदकगण खेत ख० न0 3306 / 1043 रकबा 1.25 है0 मे जाने के लिए रास्ता नही है रास्ता नही होने से आवेदकगण को अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर ले जाने तथा फसल की कटाई करने व फसल निकालने के लिए अन्य कृषि यंत्र ले जाने तथा अपने खेत मे बोई फसल निकालने पर उससे उत्पन्न अनाज व पशुओं का चारा मण्डी अथवा घर लाने ले जाने मे भारी परेशानी होती है ऐसी स्थिती मे आवेदकगण को रास्ते की आवश्यकता एक अत्यधिक आवश्यकता है।
3. यह कि आवेदकगण के खेत ख० न0 3306 / 1043 से सटकर ख० न0 1041 लगता है जो अना० स० 1 ल० 10 की खातेदारी भूमि है जहा से आवेदकगण सुविधानुसार अपने खेत मे काश्त करने हेतु आना जाना भी करते है तथा ख० नं० 1041 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कटानी रास्ता ख० नं० 1031 से लगता है आवेदकगण की खातेदारी भूमि ख० नं० 3306 / 1043 के लिए राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कटानी रास्ता ख० नं० 131 से ख० न0 1041 मे की पश्चिमी मेड़ के सहारे 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है तथा उक्त रास्ता ख० न० 1041 की पश्चिमी मेड़ के साथ से आवेदकगण की कृषि भूमि ख० न0 3306 / 1043 के लिए सबसे नजदीक व कम दुरी का रास्ता है।
4. यह कि आवेदकगण की खतोदारी भूमि ख० न० 3306 / 1043 के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जिस कारण उक्त आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।
5. यह कि ग्राम बुहाना न्यायालय के सीमाधिकार मे स्थित है। इसलिए उक्त आवेदन पत्र का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
6. यह कि आवेदन पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।
7. यह कि राजस्व रिकार्ड की नकल आवेदन पत्र के साथ पेश है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है

(क). कि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना स्थित आवेदकगण की खातेदारी भूमि ख० न० 3306 / 1043 मे आने जाने हेतु अनावेदक की खतोदारी भूमि ख० न0 1041 मे से पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 15 फीट चौड़ा ... आवेदकगण की भूमि ख० न० 3306 / 1043 तक दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

(1) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर ... अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 की और से श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट ... जवाब पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

अनावेदक संख्या–1 लगायत 10 की ओर से जवाब आवेदन पत्र निम्न प्रकार से पेश है कि –

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या–1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। आवेदकगण की उक्त खसरा नम्बर मे कभी काश्त करते हुए नही देखा गया जवाबदाता की जानकारी मे पूर्व में यह खेत कंवर सिह पुत्र रतीराम ने जरिये इकरारनामा खरीदा था जिसके नाम विक्रय पत्र तस्दीक नहीं हुआ है।
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या–2 गलत व मनगढंत झूठा होने के कारण स्वीकार नही है। आवेदकण ने खसरा नम्बर 3306/1043 की भूमि को कभी काश्त ही नहीं किया तो ट्रैक्टर आदि ले जाने की कोई परेशानी कभी नही हुई है। आवेदकगण अजनबी क्रेता है मूल क्रेता ने काफी समय तक मसकत कर भूमि को काश्त की है उसको भी कभी रास्ते की परेशानी नहीं हुई। इसलिय आवेदकगण की खातेदारी को रास्ते की कोई अति आवश्यकता नहीं है। आवेकदगण उक्त भूमि में गैर कृषि कार्य उपयोगितार्थ है। अवासिय कॉलोनी बना कर बेचान करना चाहता है। इसलिए उसको रास्ते की आवश्यकता महसूस हुई लेकिन गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग भूमि में रास्ता दिये जाने का प्रावधान अन्तर्गत धारा 251 (क) में कवर नहीं होता है। पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 3306/1043 को कंवर सिंह पुत्र रतिराम ने क्रय किया था जिसने इस भूमि में आने जाने के लिए जवाबदाता की भूमि में से 12 150 वर्गफुट का रास्ता क्रय किया था जो वर्तमान में निर्बाध रूप से चालू है। लेकिन आवेदक ने उक्त कंवर सिंह को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि आवेदक के खेत तक रास्ता कायम है जो कंवर सिंह पुत्र रतिराम का है। जिसमें आवेदकगण रास्ते की मांग कर सकता है अनावेदक की भूमि का रकबा मात्र 0.40 हैक्टर है जिसमें मे से उसने 0.0167 भाग रास्ते के लिए कंवर सिंह को दे दिया यदि आवेदक को भी रास्ता दिया जाता है तो उसके पास काश्त करने योग्य भूमि बचेगी ही नही। इस प्रकार एक ही खेत में दो रास्ते कभी कायम नही किये जा सकते।
3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या–3 में खेत खसरा नम्बर 3306/1043 जवाबदाता की भूमि से सटकर दक्षिण दिशा में होना स्वीकार है। लेकिन आवेदकगण का जवाबदाता की भूमि में से होकर आना जाना करने का तथ्य अस्वीकार है। आवेदकगण जिस भूमि में से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 3306/1043 मे जाते है वो भूमि कंवर सिंह पुत्र रतिराम की है। आवेदकगण उक्त कंवर सिंह से रास्ते की मांग कर सकते है। आवेदकगण की भूमि के आगे कंवर सिंह की भूमि लगती है जिसको उक्त आवेदक अपने खेत में से आगे जाने नही देता है इसलिए उसका आपस में विवाद होता है विधि विरूद्ध तरीके से जवाबदाता से रास्ता लेना चाहते है जो दिलवाया जाना कतई न्यायोचित [illegible]
4. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड [illegible] तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अनावेदकगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 1041 [illegible] के सहारे 12 फुट चौड़ाई व 150 फुट लम्बाई मे आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 3306/1043 तक कंवर सिंह पुत्र रतीराम को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर रखी है जि[illegible] रास्ते के रूप मे उपयोग किया जा

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

रहा है। आवेदकगण भी इसी रास्ते से अपने खेत में जाते है इसलिए अवेदकगण के पास सबसे अच्छा व सबसे सुगम विकल्प उपलब्ध है। आवेदकगण ने यह बिना किसी आधार विवाद व बिना आवश्यकता के झूठा मनगढंत आवेदन पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या–5 क्षेत्राधिकार है जिसके जवाब की आवश्कता नहीं है।
6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या–6 न्यायशुल्क का होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि आवेदन पत्र के खण्ड नम्बर 7 के तथ्य अस्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड की नकल उपलब्ध ना करवाने से जानकारी नहीं है।

अनुतोष का खण्ड–क अस्वीकार है जवाबदाता की भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ता पहले से ही कायम है लेकिन रास्ते के खातेदार कंवर सिह पुत्र रतीराम को पक्षकार नहीं बनया। पहले से रास्ता कायम होने के बावजूद जवाबदाता से और रास्ता मांगे जाना व दिया जाना कतई न्यायेचित नही है।

अनुतोष का खण्ड संख्या–ख गलत होने से अस्वीकार हे। आवेदकगण पहले उक्त खातेवारी भूमि के खातेदार को पक्षकार बनाने उसके बाद उसे सुना जा रहा है। कोई आवदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

अनुतोष का खण्ड संख्या–ग गलत होने से अस्वीकार हैं। आवेकदगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(2) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 252 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2064 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) आवेदक द्वारा अपनी निजी खातेदारी भूमि ख0 न0 3306/1043 में आने जाने व कृषि कार्य हेतु अनावेदकगण की भूमि ख0 न0 1041 की पश्चिमी मेड सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौडा रास्ते हेतु आवेदन किया गया है जिसका मौका नजरिया नक्शा प्रथम पृष्ठ पर बनाया गया है।

(2) आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता या प्रस्तावित रास्ता ही सबसे सुलभ व सबसे लधुतम रास्ता है। इसके अतिरिक्त आवेदक भूमि के लिए मोके व रिकार्ड में सबसे सुलभ व सबसे लधुतम रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ते के चारो ओर के ख0 न0 नक्शा में प्रदर्शित किया गया है।

(3) आवेदित भूमि में पहुच हेतु वैकल्पिक साधन [illegible] व सिद्व होता है चुकि प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त आवेदक की भूमि ख0 न0 3306/1043 की उत्तर पश्चिमी सीमा के कोने तक दिखाया या प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम व लघुतम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

(4) प्रस्तावित रास्ता अनावेदक ख0 न0 1041 के उत्तर पश्चिमी कोने से 50 मीटर लम्बा **x** 4 मीटर चौड़ा आवेदित भूमि ख0 न0 3306/1043 के उत्तर से पश्चिमी सीमा के कोने तक दिखाया या प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे निकटतम व लघुतम है।

(5) प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 50 **x** 4 = 200 वर्ग मीटर है। जो अनावेदक के भूमि ख0 न0 1041 के रकबा में से कम होगा। प्रभावित क्षेत्रफल के प्रतिकर की गणना कार्य TRA शाखा से संबधित है।

(6) प्रस्तावित रास्ते में आज दिनांक 25.07.2024 तक कोई भी छोटा– बड़ा वृक्ष व कच्चा या पक्का निर्माण नही है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर जवाब पेश की उसका जवाब पत्रावली में पेश किया जा चुका है निवेदन है वकील प्रार्थीगण द्वारा रिपोर्ट अनुसार रास्ता हेतु निवेदन किया गया। वकिल अप्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थी द्वारा पेश जवाब सारहिन होने यथाः अप्रार्थी को कोई नोटिस जारी नही करना, रास्ता प्रचलित है या नहीं, अन्य वैकल्पिक रास्ता है या नही के सम्बन्ध में वकील प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया है तहसीलदार की रिर्पोट पेश है। जिसमें नोटिस सलंग्न है। वैकल्पिक रास्तों का स्पष्ट अभाव बताया है तथा रास्ता प्रचलित है। 251A रास्ते का प्रकरण 2 वर्ष से Panding पर है अतः जवाब/आपत्ति खारिज की जाती है।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की जोत में ख0 न0 3306/1043 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0 [illegible] से प्रचलित रास्ते तक 15 फुट चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। प्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थीगण को डी.एल.सी का दुगुना भुगतान करे। तह[illegible] राशि [illegible] निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

[illegible]
[illegible]
निर्णय दिनांक- 18.06.2025

आदेश

"न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम बुहाना में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 3306/1043 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1041 में से प्रस्तावित रास्ते तक 15 फुट चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में "सार्वजनिक रास्ते" के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम बुहाना की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर सम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे"।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 18.6.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:29 IST
Reason: SelfAttested